P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-2* May (Part-1)- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत में सुशासन और महिला विकास

मंजु लाडला
सह आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय,
सीकर, राजस्थान, भारत

सारांश

आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं के विकास के बिना सुशासन एक कल्पना होगा। आधुनिक भारत में महिलाओं ने हर क्षेत्र में जबरदस्त भूमिका का निर्वाह किया हैं। दूसरी तरफ कड़वा सच हैं कि आज सर्वाधिक पीड़ित नारी ही है। हर रोज नारी अपहरण, दहेज उत्पीड़न और बलात्कार की आग में जल रही हैं। पुरूष प्रधान समाज और अहंकारी मनुष्य अनादिकाल से नारी को सम्मान का, प्यार का, और अधिकारों का झांसा देकर उसके साथ विश्वासघात करता रहा हैं। संतान के रूप में लड़की व लड़के में भेद करने की बात दिमाग में घर किये हुये है। फिल्मों से लेकर विज्ञापनों तक में उसकी देह का इस्तेमाल कर उसे एक वस्तु के रूप में सामनें रखा जाता हैं और विडम्बना यह है कि यह सब आधुनिकता के नाम पर हो रहा है। किसी भी दुर्घटना के पश्चात् नारी चरित्र पर अंगुली उठाना आम बात है। ग्रामीण देहात की अनपढ़ स्त्रियां रूढ़ मान्यताओं की जकड़बंदी में जीवन जी रही है। दलित, आदिवासी महिलाओं के लिए मानवाधिकार की बात कोसों दूर हैं। प्रस्तुत शोध पत्र भारत में महिलाओं को इस निम्न प्रस्थिति से ही सम्बंधित है। शोध पत्र में महिलाओं की प्रस्थिति को स्पष्ट करते हुए, महिला विकास की दिशा में किये गये सार्थक प्रयासों का अवलोकन कर, उनमें बाधक तत्वों को चिन्हित किया गया हैं। तत्पश्चात् सुधार हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किये गये है।

मुख्य शब्द : सुशासन, अनादिकाल, विडम्बना, मानवाधिकार।

प्रस्तावना

परम्परागत रूप से भारत के इतिहास में विश्व के अन्य भू–भागों की तुलना में महिलाओं की प्रस्थिति उच्च थी। वैदिक युग में उन्हें पति एवं पिता दोनों के परिवारों में उचित स्थान प्राप्त था। उन्हें लड़को के सम्मान वेदों की शिक्षा दी जाती थी। उनके आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। उन्हें समृद्धि की देवी समझा जाता था। धार्मिक कार्यों में पुरूषों के समान ही महिलाओं की भागीदारी अपेक्षित थी। स्वंयवर प्रथा के प्रचलन से युवतियों को अपने जीवन साथी के चयन में स्वतंत्रता थी। विधवाओं को अपने पति की सम्पति पर अधिकार था।

उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट शुरू हो चुकी थी। द्रौपदी को युधिष्ठिर द्वारा जुए में दांव पर लगाना और भरी सभा में चीरहरण की घटना, रामायण काल में राम के द्वारा सीता के सतीत्व की अग्निपरीक्षा महिलाओं की प्रस्थिति में गिरावट के उदाहरण है।

मध्यकाल में भारतीय महिलाओं की प्रस्थिति में ह्रास हुआ और स्थिति शोचनीय होती जा रही थी। पुत्री जन्म को अशुभ माना जाने लगा। स्त्री के लिए पति की सेवा करना, पुत्र संतान को जन्म देना, घर के कार्य, कुशलतापूर्वक सम्पन्न करना ही परम लक्ष्य माने जाते थे। उच्च वर्ग एवं सम्पन्न वर्ग की महिलाओं के लिए ही शिक्षा के सीमित अवसर उपलब्ध थे। पर्दा–प्रथा, सती प्रथा, जौहर प्रथा बहुपत्नी विवाह प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा प्रचलित हो गई। विधवा का जीवन अत्यन्त कष्टकारक एवं दुष्कर हो गया था।

उन्नीसवीं शताब्दी में अनेक समाज सुधारकों ने महिला प्रस्थिति को सुधारने की दिशा में महिला शिक्षा हेतु विद्यालय खोलनें, कुरूतियों को समाप्त करनें, महिलाओं में सामाजिक जागृति लानें तथा कुप्रथाओं के विरूद्ध सरकार को कानून बनाने के लिए मजबूर किया। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयासों से सन् 1856 का हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। राजाराम मोहनराय के प्रयासों से सन् 1829 में सतीप्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। सन् 1872 को नेटिव मैरिज एक्ट, सन् 1891 का एज आंफ कन्सेट एक्ट (1829 का शारदा एक्ट) इत्यादि एक्ट बने।[1] लेकिन सदियों से जारी धार्मिक, सामाजिक, कुप्रथाओं

को महिलाओं द्वारा अपने जीवन का अभिन्न भाग समझने तथा ईश्वरीय आदेश मानने के कारण व्यवहार में इन अधिनियमों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में आजादी की लड.ाई और उत्तरार्द्ध में स्वतंत्र भारत में महिला प्रस्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आया। आजादी की लड़ाई में संघर्ष के अगुवाओं ने देश की आधी आबादी को साथ लेकर चलने के लिए समाज सुधार आंदोलनों के नेतृत्व में महिलाओं में जागृति उत्नन्न करने का कार्य किया। जिसके परिणामस्वरूप स्त्री–शिक्षा, विधवा विवाह, बाल विवाह आदि की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुए। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में महिलाएं आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक दासता से मुक्ति पाकर स्वतंत्र जीवन के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त कर रही है।

आज स्त्री शिक्षा, योजनागत विकास, तीव्र औद्योगिकीकरण एवं आधुनिकीकरण, पश्चिमी एवं अमेरिका संस्कृति का प्रभाव, जनसंचार माध्यमों की जनसाधारण तक पहुंच, सांविधानिक कानूनी अधिकार, नारीवादी आंदोलन, राजनीति एवं नौकरियों में आरक्षण, सामाजिक सोच में बदलाव, विलम्ब से विवाह, प्रजातंत्रिक मूल्यों का विकास, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयास, वैश्वीकरण, उदारीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय महिला संगठनों की भूमिका तथा मानवाधिकारों के प्रति आग्रह एवं चेतना ने निःसंदेह भारतीय महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार किया है। आज भी ऐसे अनेक क्षेत्र है जिनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व नाममात्र का है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आज भी परम्पराओं एवं रूढ़ियों में जकड़ी हुयी हैं। महिला न्याय एवं कानून की दृष्टि से भले ही पुरूषों के समान हो, व्यावहारिक क्षेत्र में परम्पराएं महिलाओं के विरूद्ध ही है। सिद्धान्त एवं व्यवहार का अन्तर गरीब से अभिजात वर्ग तक की महिलाओं में देखने को मिल जाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, तकनीकी दुरूपयोग द्वारा महिलाओं की छवि बिगाड़ना, यौन पर्यटन तथा फैशन, सिनेमा एवं उपग्रहीय चैनलों द्वारा उन्मुक्तता का प्रदर्शन, सैक्स एवं खुलापन महिलाओं की प्रस्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।"[2]

लिंगानुपात पर दृष्टि डाले तो ''सन् 1901 में 972 था वह वर्ष 2011 में घटकर 943 हो गया।''$_3$ तकनीकी के विकास एवं समाज में महिला की दोयम स्थिति साथ ही परम्परागत विश्वासों के चलते स्त्री पुरूष अनुपात तेजी से बिगड़ने लगा। कन्या भ्रूण हत्याएं होने लगी, जिससे संतुलन पूरी तरह से लड़खड़ा गया। लिंगानुपात बिगड़ने से भी महिला अपराधो विशेषकर यौन अपराध, अपहरण, छेड़खानी, आदि घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी।

सांवैधानिक प्रावधानों, पुलिस एवं न्याय प्रणाली की सक्रियता तथा सरकारों के दावो के उपरान्त भी महिलाओं के प्रति अपराधों में उत्तरोतर वृद्वि होती जा रही है। ''विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार किया जाता हैं और इसमें से मात्र 10 प्रतिशत घटनाओं की ही रिपोर्ट दर्ज हो पाती हैं।''[4] बलात्कार एक दुधारी तलवार है। एक तो महिला के साथ ज्यादती होती है और दूसरी ओर उसके सगे संबंधी उसे ही बदनामी के डर से मुंह बंद रखने को मजबूर करते है। इस तरह महिला अपराध की भी शिकार होती है और अपमानित भी होती है। इस विवशता से वह स्वयं को अशक्त समझने लगती है। बलात्कार का एक घिनोना पहलू यह भी है कि बलात्कार करने वालों में 80 प्रतिशत संख्या रिश्तेदारों, पड़ोसियों या अन्य परिचितों की होती है।

छेड़छाड़ या दबाव का विरोध करने पर लड़कियो का अपहरण तथा उन पर तेजाब/रसायन भी फेंका जाता है। '' बस में, रेल में, सड़क पर, गली में, घर पर, स्कूल, कॉलेज, बाजार या कार्यस्थलों पर उत्पीड़न, भद्दे मजाक या व्यंग्य आदि की शिकार होती है।''[5] शिक्षा की कमी के कारण ही महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र–आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक में शोषण व अत्याचार का शिकार हो रही है। महिला साक्षरता में वृद्वि हो रही है परन्तु आज भी विद्यालय छोने वाले विद्यार्थियों में बालिकाओं की ही संख्या अधिक है।

महिला स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति चितांजनक है। ''चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) की रिपोर्ट के अनुसार आज भी 48 प्रतिशत महिलाएं कुपोषित एवं कमजोर हैं। शिशु मृत्युदर (6 वर्ष तक) के स्तर पर भी लड़कियो की मृत्युदर अधिक होती है।''[6]''प्रिन्सटन विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार देश में 90 प्रतिशत महिलाओं में रक्त की कमी हैं तथा 48 प्रतिशत माताएं औसत वजन से कम की है।''[7] स्वास्थ्य से जुड़ी एक समस्या बाल विवाह भी है। देहाती क्षेत्रों की महिलाओं में बीड़ी और तम्बाकू का आज भी जबरदस्त प्रचलन है। इससे केन्सर जैसे भयानक रोग फैल रहा है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आधी आबादी की (महिलाओं) संसद मे हिस्सेदारी महज 12 फीसदी ही है। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की दशकों पुरानी पहल अब तक अधूरी है।

महिलाओं की पारिवारिक एवं सामाजिक प्रस्थिति पर नजर दौड़ाएं तो, आज भी बहुत सी स्त्रियां अपने अधिकारो से वंचित है। लैगिंग भेदभाव व हिंसा की शिकार है। पारिवारिक मारपीट, गाली गलौच, भ्रूणहत्या, दहेज दहन, डायन दहन, तरह–तरह यौन शोषण, अनचाहा गर्भ, लूट, सुरक्षित प्रसव व मातृत्व का अभाव, बाल विवाह तथा प्रदा प्रथा इत्यादि बुराइयो से ग्रसित है। आज भी समाज के बहुत बड़े वर्ग में लड़की का घर से दूर पढ़ना, नौकरी करना, पुरूष सहयोगियो से मिलना–जुलना, अकेले घर से बाहर निकलना एवं रहना अवांछनीय व्यवहार माना जाता है। समाज में देह व्यापार व्याप्त है तो मात्र इसलिए कि पुरूषो में स्त्री देह खरीदने की प्रवृति आज भी मौजूद है। महिलाओं को भाषा, व्यवहार एवं सोच के प्रत्येक स्तर पर विभेदकारी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।'' आज भी महिलाएं जलाई जाती है, मारी जाती है। कहने को तो हम प्रगति कर रहे है, पर स्त्रियों के साथ न तो समानता का व्यवहार कर रहे है और न ही न्याय''। [8] आजकल हिंसा का एक नया रूप ओनर किलिंग के रूप में भी उभर रहा है। बाजारीकरण के कारण श्रम के क्षेत्रो में महिलाओं की

नियुक्ति तो हुई, मगर अस्वास्थ्यकारी, लम्बे काम के घण्टे, अधिक शारीरिक श्रम, कम आमदनी वाले काम ही उसके हिस्से में आ रहे है। घर एवं नौकरी की दोहरी जिम्मेदारी के कारण उसका स्वास्थ्य निरन्तर खराब होता चला जाता है। देश के कुल श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 24 प्रतिशत ही है। इस तरह व्यवहार में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सोचनीय है।

शोध के उदेश्य

1. सुशासन में महिला विकास की आवश्यकता प्रतिपादित करना।
2. भारत में महिला प्रस्थिति का विवरण प्रस्तुत करना।
3. महिला विकास नीतियों, कार्यक्रमोंतथा कानूनो की वस्तुस्थिति का अवलोकन करना।
4. महिला विकास कार्यक्रमोंके क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं एवं समस्याओं की चिन्हित करना।
5. महिला विकास कार्यक्रमोंके सफल संचालन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

उपकल्पनाएं

1. महिला विकास के बिना सुशासन संभव नहीं हो सकता है।
2. भारत में महिला प्रस्थिति में गिरावट जारी है।
3. महिला विकास कार्यक्रमोंके सफल संचालन में समाज तथा प्रशासनिक व्यवस्था दोनो ही पूर्ण रूचि नहीं लेते है।
4. समाज की सोच/दृष्टिकोण से परिवर्तन से ही महिला विकास हो सकता है।
5. महिला विकास पर सरकार, समाज तथा परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

शोध प्रविधि

विषय से सम्बन्धित पुस्तकों, ग्रन्थों, रिर्पोटस, शोध प्रतिवेदन, कानून, नीतियों, लेखों, समाचार सामग्री, विभिन्न अधिनियमों, संविधान संशोधन तथा प्राचीन साहित्य इत्यादि से तथ्य एकत्रित किये गये है। विभिन्न विभागो द्वारा संचालित महिला विकास योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु महिला एवं बाल कल्याण, समाज कल्याण, महिला थाना तथा महिला आयोग के कार्यालय में व्यक्तिशः सम्पर्क करके जानकारी प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त 100 महिलाओं का दैव निदर्शन पद्वति से चयन कर उनकी प्रतिक्रियाएं भी एकत्रित की गई है। इस प्रकार प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनो ही स्त्रोतो से तथ्य एकत्रित, अवलोकन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन कर निष्कर्ष निकाले गये है।

महिला विकास की दिशा में प्रयास

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के सभी पक्षो में महिलाओं की उन्नति, समानता तथा भागीदारी सुनिश्चित करने के दिशा में सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये गये :–

1. संविधान में ही महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार दिये गये है। साथ ही सरकार नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत महिलाओं के लिए पृथक से कानून तथा विशेष प्रावधान कर सकती है।''[9]
2. ''विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजनागत ढंग से महिला विकास के उदेश्यों की प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।''[10]
3. महिला विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न कानूनो का निर्माण किया गया है। जैसे–''सती प्रथा निवारण अधिनियम 1829 (संशोधित 1987), हिन्दु विधवा पुर्नविवाह अधिनियम 1856, स्त्रियों एवं कन्याओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956, दहेज प्रतिशेध अधिनियम 1961 संशोधित 1984 एवं 1986, प्रसूति लाभ अधिनियम 1961, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रिग्नेन्सी एक्ट 1971 संशोधित 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, महिलाओं का अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम 1986, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी विनियम एवं दुरूपयोग निवारण अधिनियम 1994, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव अधिनियम 2005, माता–पिता और वरिष्ट नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण, प्रतिशेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2012, इत्यादि। ''[11]
4. ''राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 की घोषणा।''[12]
5. ''राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992''[13]
6. अलग से मंत्रालय, ''महिला एवं बाल विकास''[14] का गठन किया गया। ''विभाग के माध्यम से आंगनबाड़ी, महिला समृद्वि, किशोरी शक्ति, पोषण कार्यक्रम शिशु गृह योजना, स्टेप, स्वधार, शिशु देखभाल केन्द्र, प्रियदर्शनी, उज्जवला, धनलक्ष्मी, जेण्डर बजट, मातृत्व सहयोग, बालिका समृद्वि, स्वयं सहायता समूह, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सबला इत्यादि महिलाओं से सम्बन्धित कार्यक्रम संचालित किये जाते है।''[15]
7. ''भारत सरकार द्वारा महिलाओं के विरूद्व भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समझौता (सीईडीएडब्लू) पर हस्ताक्षर (1980 अभिपुष्टि 1993) किये गये है।''[16]
8. महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन 2010 तथा उच्चस्तरीय समिति का गठन 2012
9. ''स्त्री शक्ति पुरस्कार (1999 तथा 2012) की घोषणा''[17]
10. महिला दिवस (8 मार्च) बालिका दिवस (24 जनवरी) तथा मदर्स डे (मई के द्वितीय रविवार) मनाना
11. जेण्डर बजटिंग कार्यक्रम, महिला अनुसंधान और मॉनीटरिंग के लिए सहायता अनुदान, महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का प्रत्येक विभाग एवं कार्यालयों में गठन, महिला आवास योजना, जागरूकता शिविर, वर्कशॉप आयोजित करना, महिला हेल्पलाइन योजना का शुभारम्भ तथा महिला ऋण कोष की स्थापना इत्यादि।

महिला विकास कार्यक्रमों में बाधक तत्व

1. ''सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की महिलाओं एवं बालिकाओं को स्पष्ट व सम्पूर्ण जानकारी नहीं होती है।''[18]
2. ''विकास योजनाएं व कार्यक्रम महिलाओं की आवश्यकता और पसन्द पर आधारित नहीं होते है।''[19]
3. महिलाओं से सम्बन्धित नीतियों के निर्माण में उनकी सहभागिता नहीं होती है।
4. राजनीतिक दलों द्वारा महिला विकास अथवा महिला मुद्दों के प्रति उदासीनता एवं वास्तविक इच्छा शक्ति का अभाव प्रमुख बाधा है।
5. महिला कल्याण की नीतियों को लागू करने वाली नौकरशाही की संवेदनहीन प्रकिया से भी नीतियों का यथोचित लाभ महिलाओं को नही मिल पाता है।
6. ''स्वयं सहायता समूहों की समस्याओं का निराकरण नहीं होने (जैसे–उत्पादों की बिक्री व्यवस्था, अत्यधिक महिलाओं का जुड़ाव न होना) से इन समूहों के द्वारा धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। ''[20]
7. आंगनबाड़ी केन्द्रों में समुचित व्यवस्थाओं का अभाव (भवन, पेयजल) महिला पर्यवेक्षको के पद रिक्त होना, केन्द्रो पर एक ही समाज का आधिपत्य होने से इनके कार्यक्रमोंमें अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तथा संचालन मे पक्षपात एव मनमानी करने के आरोप भी लगाये जाते है।
8. केन्द्र एवं राज्य स्तर पर तो महिला आयोग तथा अन्य संगठन सक्रिय रहते है जबकि ग्रामीण इलाकों में इनकी भूमिका सीमित होती है जबकि वहां इनकी ज्यादा आवश्यकता रहती है।
9. एक दल की सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के नाम दूसरे दल की सरकार आते ही इस तरह बदल जाते है जैसे कि सरकार नामकरण उत्सव मना रही है। इससे महिलाओं में भ्रम पैदा होता है। जिससे वह सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाती है और योजना के फायदे से वंचित रह जाती है।
10. ''एंबुलेंस 108 सेवा की सर्विस मानदण्डों के अनुसार नहीं है। इन खस्ताहाल एंबुलेंस में जीवन रक्षक व अन्य उपकरण ही पर्याप्त नहीं है। छोटे–छोटे कस्बो व गांवो में इनकी तत्काल सेवा महिलाओं को नहीं मिलती है। इनका इस्तेमाल डाक्टरों को लाने ले जाने, दवाईयां लाने तथा अन्य कामों में भी किया जाता है।''[21]
11. शिक्षा की कमी से महिलाएं नीतियां व कानूनों को समुचित समझ ही नहीं पाती है जिससे अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है।
12. महिलाओं की दोयम स्थिति का पोषण करने वाली भारतीय संस्कृति महिला विकास के पथ में सबसे बड़ी बाधा है। चूंकि संस्कृति संस्कारो की जननी होती है और जब व्यक्ति के संस्कार पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो तो ऐसी स्थिति में महिला विकास कार्यों को समाज की स्वीकृति मिलना एक बड़ी चुनौति है।
13. भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों (बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, नाता प्रथा, डांकन मान्यता, विधवा से सम्बन्धित कुरीतियां, लड़की को पराया धन समझना, झाड़ू फूंक इत्यादि) से महिलाएं सीधे प्रभावित होती है और विकास कार्यों को आशातीत सफलताएं नहीं मिलती है।
14. महिलाओं के साथ लिंग आधारित भेदभाव वाली सोच महिला विकास कार्यक्रमों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
15. सामाजिक पिछड़ेपन, अशिक्षा एवं जानकारी के अभाव में महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं होती है। सुरक्षित प्रसव का अभाव है। प्रसव केन्द्र संक्रमण की चपेट में है। गायनीकोलाजिस्ट के पद रिक्त है। स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसुताएं तड़पती रहती है। इस तरह महिला विकास के मार्ग में कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य एक प्रमुख समस्या है।
16. महिला सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आज भी नहीं है। घर से लेकर स्कूल, अस्पताल, खेल प्राधिकरणों, महिला आवास गृहो, छात्रावासों तथा कार्यस्थलो पर उत्पीड़न का भय बना रहता है।
17. न्यायिक प्रकिया में देरी एवं खर्चीली होने से महिलाएं कोर्ट तक नहीं जाती है।
18. गरीबी/आर्थिक विकास सिर्फ महिला विकास ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास के सम्मुख भी एक प्रबल चुनौती है और इससे महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। गरीबी के कारण परिवार में महिलाओं एवं बालिकाओं के पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की अत्यधिक उपेक्षा की जाती है।
19. महिला को हीन, दुर्बल मानने की प्रवृति तथा उसके कार्य को कोई महत्व नहीं देना भी विकास कार्यो की प्रमुख बाधा बनी हुई है।
20. परिवारिक सहयोग के अभाव में भी महिलाएं शोषित व पीड़ित रहती है। उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रो में भागीदारी करने से रोका जाता है। स्वनिर्णय का अभाव है, उन्हें हर कार्य के लिए घर के मुखियां या पति से पूछना पड़ता है। यदि वो कोई निर्णय ले लेती है तो उसकी मदद करने की बजाय उसके मार्ग में बाधाएं खड़ी कर उसके निर्णय को गलत साबित करने का प्रयास किया जाता है। इससे उनमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है और आत्मनिर्भर नहीं हो पाती है।

सुझाव

1. विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों का स्वरूप स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। योजनाएं एवं कार्यक्रम सम्बन्धित समुदाय की आवश्यकताओं एवं रूचि पर आधारित होगे तथा जन सहयोग प्राप्त होगा।
2. कार्यक्रम तथा योजनाओं के निर्माण में महिलाओं की सहभागिता होनी चाहिए। इसके लिए राजनीतिक सहभागिता के प्रयास किये जाने चाहिए।
3. विभिन्न विभागों द्वारा संचालित महिला योजनाओं का विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।

4. योजनाओं का संचालन करने वाले विभिन्न विभागों में सहयोग व समन्वय हो एवं महिला योजनाओं के लिए अनावश्यक देरी नहीं करके सहयोगी रूख अपनाया जाना चाहिए।
5. योजनाओं में महिला आर्थिक स्वावलम्बन को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब महिलाएं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ एवं आत्मनिर्भर होगी, तब ही महिलाओं के अन्तरमन में निहित स्व का विकास होगा, जो उनके व्यक्तित्व सुदृढता प्रदान करेगा।
6. आंगनबाड़ी हेतु पर्याप्त भवन व मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। इनमे नियुक्त कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही इनमें प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जानी चाहिए ताकि योग्य महिला का चयन हो, जिससे योजनाओं की क्रियान्विती सही ढंग से हो। आंगनबाड़ी केन्द्रो का सघन सतत निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
7. महिला संगठनो का ग्रामीण स्तर तक विस्तार किया जाये।
8. महिला विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में राजनीतिक दलो को अपनी प्रतिबदता एवं गम्भीरता का परिचय देना चाहिए। दलो द्वारा महिला मुद्दो को अपने चुनावी एजेण्डो में शामिल करना चाहिए तथा सरकार में आने के बाद उन्हें लागू करना चाहिए। सभी दलो को महिला विकास के मुद्दो पर राजनीति नहीं करके एकजुटता का परिचय दो चाहिए।
9. समय–समय पर महिला योजनाओं की समीक्षा कर, उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाना चाहिए।
10. सरकार को योजनाओं का नामकरण सोच समझ कर करना चाहिए। अपनी पार्टी या नेता के नाम पर योजनाएं नहीं चलानी चाहिए। साथ ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संचालित योजना का मात्र नाम नहीं बदलना चाहिए। इससे जनता में भ्रम पैदा होता है। अतः योजनाओं के नामकरण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
11. महिला के सर्वागीण विकास में शिक्षा ही सहायक सिद्ध हो सकती है, अतः महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। यह एक ऐसा निवेश है जिसके दुरगाती निश्चित ही कल्याणकारी होगे।
12. महिला के प्रति समाज की सोच में परिवर्तन आवश्यक है। समाज महिलाओं को निम्न दृष्टि से नहीं देखे, अपितु उसे एक मनुष्य माने। उन्हें अपनी क्षमताओं का विकास करने व व्यक्तित्व निर्माण हेतु समुचित वातावरण देना चाहिए। महिलाओं को नीचा दिखाने वाली सामाजिक परम्पराओं को समाप्त किया जाना चाहिए। समाज को अपना नजरिया बदलते हुए बेटा–बेटी में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। महिला के साथ अपराध होने पर उसको बदनाम करने के स्थान पर उसका साथ देवे। महिला में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मशक्ति को विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करें।
13. समाजिक बुराइयां व कुरीतियां जो महिला को अबला, आश्रित व अशक्त बनाती है, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र एवं पहलू के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास एवं जागरूकता पैदा किया जाना अपेक्षित है।
14. बेटियों के साथ–साथ बेटों को भी संस्कारवान बनाना चाहिए। इससे महिला अपराधो में कमी आयेगी और महिलाओ को विकास हेतु समुचित वातावरण प्राप्त होगा। अतः सबके लिए चारित्रिक सुधार, मूल्य, संस्कारित शिक्षा की आवश्यकता है।
15. महिलाओं को सही मायने में आज घर, स्कूल, कार्यक्षेत्र व सड़कों पर सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके लिए महिला थाना व महिला न्यायालय को ग्रामीण स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं के प्रति अत्याचार व अपराध करने वालो को कठोर सजा से दण्डित किया जाये। महिला पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित हो तथा फास्ट ट्रेक अदालते समुचित मात्र में गठित की जाये। साथ ही महिलाओं को सुरक्षात्मक प्रशिक्षण, साहस, आत्मविश्वास तथा विषम परिस्थितियों का मुकाबला करने के कौशलों से परिचित कराना आवश्यकहै।
16. अश्लील विज्ञापनों, साहित्य, पत्रिकाओं एवं टीवी पर दिखाई जाने वाली अष्लील फिल्मों तथा महिलाओं की छवि बिगाड़ने वाली फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये।
17. व्यावसायिक कम्पनियों में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिये।
18. महिला विकास के लिए आवश्यक है कि मीडिया अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के मुद्दे एवं समस्याओं को समाज एवं व्यवस्था के सम्मुख प्रस्तुत करें, जिससे समाज में उन पर एक सोच का विकास हो सके और समाज महिला विकास की दिशा में कुछ गम्भीर प्रयास की ओर अग्रसर हो सके।
19. महिला अध्ययन को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाये जिससे महिला विषयों के सम्बन्ध में रूचि एवं चेतना का संचार छात्र छात्राओं में प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ही जागृत हो सके।
20. जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे बिजली, पानी, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क मार्ग की पूर्ति महिला विकास की पूर्व शर्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाओं का पूरा दिन दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही व्यतीत हो जाता है। अतः इन सेवाओं का विस्तार आवश्यकहै।
21. महिलाओं की स्वयं सतत् जागरूकता ही महिला विकास का सर्वोतम उपाय है। अपना भविष्य निर्धारण करने हेतु किये जाने वाले प्रयासों की शुरूआत महिलाओं को स्वयं से करनी होगी। उन्हें स्त्री–स्त्री के प्रति सहयोग एवं संगठन की भावना का विकास करना होगा। महिलाओं को आगे आकर अपने प्रति हुए अत्याचार की शिकायत दर्ज करवानी चाहिये। पश्चिमी स्त्रीवाद विमर्श को आदर्श मानने की प्रवृति बचना चाहिए। भारतीय स्त्रियों की

स्वतंत्रता और समानता की रूपरेखा यहां की नैतिकता, परम्परा, संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखकर तय करनी होगी। स्त्री की आजादी के लिए चलाई गई मुहिम को स्त्री बनाम पुरूष में बदलकर लड़ने की बजाय दोनो के सम्बन्धो को अधिकाधिक सहयोगात्मक बनाने की आवश्यकता है।

अतः महिलाओं को स्वयं मे अन्तपरिवर्तन करना होगा, जो शिक्षा एवं आत्मविश्वास के आधार पर ही संभव है। अपने अधिकारो एवं समस्याओं के प्रति जागरूकता, हर स्तर पर नियम निर्माण में सहभागिता, सूचना प्राप्ति की उत्कंठा, अपनी पहचान बनाने की इच्छा, स्वयं अस्मिता के लिए संघर्ष, शोषण का विरोध एवं उदासीनता का त्याग करते हुये स्वयं के प्रति आशावादी, दृष्टिकोण रखते हुये समाज में सक्रिय भागीदारी के पहल स्वयं महिलाओं को ही करनी होगी, तभी महिलायें वास्तविक अर्थो में विकास को प्राप्त कर पायेगी।

निष्कर्ष

''महिलाओं का पिछड़ापन, दमन, निम्न परिस्थिति का प्रभाव केवल उन्ही पर नहीं पड़ता है, वरन सारा समाज आहत होता है। अतः नारी विकास सामाजिक विकास की पूर्व शर्त है।''[22] कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता, जब तक कि उसकी आधी आबादी (महिलाओं) को विकास के समान अवसर नहीं मिलते है। अतः सरकारी एवं गैरसरकारी सभी प्रयासों से महिलाओं के विकास एवं समान स्तर तक लाने के प्रयास करने होगें।

महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि वह अपने अस्तित्व की पहचान कर अपनी क्षमताओं का विकास करे ओर परिवार, समाज और देश के विकास में अपना अनमोल योगदान दे सके। साथ ही समाज मे एक व्यापक चेतना एवं जनआन्दोलन की आवश्यकता है, जो जनमानस में स्त्री के प्रति उसकी सोच में परिवर्तन करते हुये उसे मनुष्य के रूप में एक सम्पूर्ण दृष्टिकोण का विकास करें। अतः महिलाओं की स्थिति एवं जीवन स्तर में सुधार करके ही स्थायी विकास व सुशासन को प्राप्त किया जा सकता है।

यदि महिला का विकास होता है, तो उसके परिवार का विकास होगा, परिवार का विकास होने पर समाज का विकास होगा। समाज के विकास से गांव का विकास होगा। गांवो के विकास से राज्य का विकास होगा और राज्य का विकास होने पर राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्र का विकास होने पर अर्न्तराष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्र की प्रतिष्ठा में वृद्वि होगी और अर्न्तराष्ट्रीय शान्ति व व्यवस्था में मदद मिलेगी। इस तरह महिला कल्याण एवं विकास का सामाजिक महत्व भी है।

पाद टिप्पणी

1. *भारत शासन अधिनियम–1829, 1856, 1872 तथा 1891 के सुधार अधिनियम*
2. *डॉ. अरविन्द कुमार महला– भारत में महिला सशक्तिकरण प्रयास एवं बाधाएं, पृ.सं. 17*
3. *जनसांख्यिकीय विभाग–भारत सरकार (प्रतिवेदन) 2011*
4. *डॉ. गीता सामौर–भारत में महिला सशक्तिकरण प्रयास एवं बाधाएं, पृ.सं. 119*
5. *डॉ. सुभाष सेतिया–आधी आबादी का सच, समाज कल्याण पत्रिका, मार्च 2015*
6. *डॉ. कृष्ण चन्द्र चौधरी–भारत में स्वास्थ्य की स्थिति, समाज कल्याण पत्रिका, अप्रैल 2015*
7. *डॉ. वीणा सबलोक–कुपोषण एक राष्ट्रीय समस्या, वही*
8. *डॉ. जगजीत सिंह कविया–भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति–भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रयास एवं बाधाएं, पृ.सं. 109*
9. *डॉ. विनीत कुमार एवं कृष्णा डुडी–महिला सशक्तिकरण हेतु सांवैधानिकएवं कानूनी प्रयास, पृ.सं. 210–211*
10. *योजना आयोग के प्रतिवेदन–विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं–भारत सरकार*
11. *विभिन्न सुधार व संशोधन अधिनियम–भारत सरकार (1829, 1856, 1956, 1961, 1984, 1986, 1976, 1986, 1993, 1994, 2005, 2007, तथा 2012)*
12. *राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001–महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार*
13. *राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990–भारत सरकार*
14. *महिला एवं बाल विकास मंत्रालय गठन अधिनियम 2006, भारत सरकार*
15. *डॉ. एस.के. कटारिया– भारत में महिला विकासः नीति एवं प्रशासनिक तंत्र, पृ. सं. 231*
16. *अर्न्तराष्ट्रीय समझौता–सीईडीएडब्ल्यू 1993, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार*
17. *स्त्री शक्ति पुरस्कार घोषणा 2012–महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार*
18. *डॉ. शैलेन्द्र मौर्य–राजस्थान में महिला विकास प्रारम्भ से आज तक, पृ.सं. 123*
19. *वहीं*
20. *डॉ. प्रमिला सुराणा–''नारी को स्वावलम्बी बनाती सखी'' दैनिक भास्कर, सीकर संस्करण, दिनांक 21 अगस्त 2014,*
21. *राजस्थान पत्रिका–सीकर संस्करण, दिनांक 26 जून 2016*
22. *श्री अमर्त्य सेन–ज्याद्रीजः भारत में विकास की दशाएं–पृ.सं. 164,*

पत्र–पत्रिकाएं व ई संदर्भ

1. *राजस्थान पत्रिका*
2. *दैनिक भास्कर*
3. *द हिन्दु*
4. *इण्डिया टुडे*
5. *समाज कल्याण मासिक पत्रिका*
6. *विभिन्न विभागो की वेबसाइटस*